छत्तीसगढ़ शासन
मुख्यमंत्री सचिवालय
//(प्राधिकरण प्रकोष्ठ)//
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक GENS-11/9921/2026-CMO SECTION / 336 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.09.2026

प्रति,

संचालक,
पंचायत संचालनालय,
विकास भवन, भू–तल, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–80 के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण (8555) के लिए प्रावधानित राशि में से पुनरावंटन की स्वीकृति बाबत्।

––००––

माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं अध्यक्ष, ''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण'' द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य, **श्री अजय चन्द्राकर, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र कुरूद** द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर **'संलग्न सूची अनुसार' 20 कार्यों** के संपादन हेतु **रूपये 120.80 लाख मात्र** की स्वीकृति प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई है।

2– उपर्युक्त स्वीकृत राशि माँग संख्या–80, लेखा शीर्ष–3604, 1101–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, 02062–पंचायत, 8555–छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, #45–पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण, 001–पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण के अन्तर्गत् विकलनीय होगी ।

3– उपर्युक्त राशि **रुपये 120.80 लाख मात्र**, कलेक्टर, **जिला–धमतरी (छ.ग.)** को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन पुनरावंटन करने का कष्ट करें :–

1. **कार्यस्थल ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पंचायत के क्षेत्र में होना अनिवार्य है।**
2. विकास कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के निधि नियम 2024 का पालन अनिवार्य होगा ।
3. सी.सी. रोड निर्माण के संबंध में भौतिक सीमा चिह्न उल्लेखित कर ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाये।
4. पुलिया निर्माण कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत राशि की सीमा में कार्य होने की स्थिति में ही कार्य प्रारंभ की जाये।
5. जिला कलेक्टर्स कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कार्य प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत सम्मिलित ग्रामों के हो तथा जिले के लिए प्रावधानित मद अथवा अन्य विभागीय मद से स्वीकृत न हो।
6. कार्यस्थल के दो–दो फोटोग्राफ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा कार्य पूर्णता उपरांत लिए जाए।
7. कार्य पूर्णता के पश्चात् कार्य पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

8. छोटे–बड़े झाड़ के जंगल दर्ज भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित हो एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्रावधान यदि आकृष्ट हो रहे हों, तो जिला स्तरीय समिति से कार्य हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
9. प्राधिकरण से स्वीकृत कार्य माननीय न्यायालय द्वारा प्रबंधित भूमि, वन भूमि, निजी भूमि व निजी भवन पर नहीं किया जाए।
10. निर्माण कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में पूर्ण किया जाये। जिला कलेक्टर्स वित्तीय नियंत्रण एवं मासिक व्ययों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः व्ययाधिक्य की स्थिति के लिए भी वे ही जवाबदेह होंगे।

संलग्न – उपर्युक्तानुसार।

Digitally signed by
P. Dayanand
Date: 03-09-2026
18:19:41

(पी.दयानंद)
सचिव, मुख्यमंत्री एवं
सदस्य सचिव, प्राधिकरण

पृ. क्रमांक GENS-11/9921/2026-CMO SECTION / 337 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.09.2026

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय उपाध्यक्ष, छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, निवास–गजानन मंदिर के पीछे, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.), की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अजय चन्द्राकर, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र कुरूद, जिला–धमतरी, (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्र. 2300, दिनांक 23.06.2026 के तारतम्य सूचनार्थ ।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. कलेक्टर, **जिला–धमतरी (छ.ग.)** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सही/–
(पी.दयानंद)
सचिव, मुख्यमंत्री एवं
सदस्य सचिव, प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
जिला–धमतरी के लिए स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1.	सीसी रोड निर्माण कार्य, बद्री घर से तालाब तक 200 मीटर, ग्राम कोकडी (खैरा) विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
2.	मुक्तिधाम शेड निर्माण कार्य, ग्राम कानामुका, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	4.50
3.	सीसी रोड निर्माण कार्य, महेश घर से गदलाल साहू घर तक 200 मीटर, ग्राम मौरीकला, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
4.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, आदिवासी पारा, ग्राम मौरीकला, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
5.	सीसी रोड निर्माण कार्य, खेमू घर से सुरेन्द्र घर तक 200 मीटर, ग्राम मौरीकला, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
6.	सीसी रोड निर्माण कार्य, भाठापारा मेन रोड से ओमप्रकाश घर तक 300 मीटर, ग्राम मडेली, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	7.80
7.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, यादव पारा में, ग्राम मडेली, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
8.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, सिन्हा पारा, ग्राम मेंडरका, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
9.	सीसी रोड निर्माण कार्य, शमशानघाट से पूल पुलिया तक 200 मीटर, ग्राम मूरा, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
10.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, विश्वकर्मा समाज पारा, ग्राम बिरेझर, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
11.	सीसी रोड निर्माण कार्य, मुख्य मार्ग से मुक्ति धाम तक 200 मीटर, ग्राम सिघौरीखुर्द,विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
12.	सीसी रोड निर्माण कार्य मेन रोड से प्राथमिक स्कूल तक 200 मीटर, ग्राम सिलीडीह, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
13.	सीसी रोड सह पक्की नाली निर्माण कार्य, रामबिशाल साहू घर से सुमेति घर तक 300 मीटर, ग्राम सिलीडीह, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	7.80
14.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, साहू पारा में, ग्राम चिंवरी, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
15.	सीसी रोड निर्माण कार्य, मेन रोड से मुक्तिधाम तक लगभग 300 मीटर, ग्राम भोथली, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	7.80
16.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, यादव पारा में, ग्राम भैसमुण्डी, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
17.	सीसी रोड निर्माण कार्य, ठाकुर देव से मेन रोड तक 200 मीटर, ग्राम परसवानी (कमरौद) विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	5.20
18.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, महार समाज पारा में, ग्राम जोरातराई (न) विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
19.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ध्रुव गोंड समाज पारा में, ग्राम बगदेही, विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	6.50
20.	रंगमंच निर्माण कार्य, तालाब/ गांधी चौक के सामने, ग्राम दर्री (देवरी) विकासखण्ड कुरूद, जिला धमतरी	4.50
	योग	**120.80**

Digitally signed by
GHANSHYAM SINGH TANWAR
Date: 03-09-2026 18:39:01

(धनश्याम सिंह तंवर)
अवर सचिव
मुख्यमंत्री सचिवालय